

कार्यालय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी।

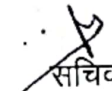
प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.07.2026

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 2116/एसएलएसए-68/25 (शुभ/कुलदीप) दिनांकित 08.07.2026 के अनुपालन में जनपद कौशाम्बी में Community Mediator का चयन किया जाना प्रस्तावित है। एतद् द्वारा उपयुक्त व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए उन्हें सूचित किया जाता है कि Community Mediator के चयन हेतु साक्षात्कार दिनांक 18.07.2026 को अपराह्न समय 03:00 बजे अपर जिला जज, न्यायालय संख्या 01 के विश्राम कक्ष में नियत है।

धारा 43(5) मीडिएशन एक्ट, 2023 के अनुसार निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति Community Mediator के रूप में शामिल किये जा सकते हैं—

1. समाज में प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति हो
2. कोई भी स्थानीय व्यक्ति जिसका समाज में योगदान मान्यता प्राप्त हो
3. क्षेत्रीय या निवासी कल्याण संघों के प्रतिनिधि हो
4. मध्यस्थता के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला व्यक्ति हो
5. कोई अन्य व्यक्ति जिसे उपयुक्त समझा जाए

उपयुक्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने मूल शैक्षणिक एवं अनुभव प्रपत्रों के साथ समय अपराह्न 03:00 बजे कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी में साक्षात्कार हेतु उपस्थित रहे।


सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कौशाम्बी।

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी उक्त विज्ञप्ति को चरपा कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
3. नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी वेबसाईट पर उक्त विज्ञप्ति अपलोड कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
4. जिलाधिकारी, कौशाम्बी को कलेक्ट्रेट और तहसीलों के नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चरपा कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करें।
5. अध्यक्ष, समस्त बार एसोसिएशन, कौशाम्बी को नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चरपा कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करें।
6. जिला सूचना अधिकारी, कौशाम्बी को उक्त विज्ञप्ति को दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी व अंग्रेजी) में निःशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कौशाम्बी को नोटिस बोर्ड पर उक्त विज्ञप्ति को चरपा कराना सुनिश्चित करें।



सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
कौशाम्बी।